



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222123
CG-DL-E-30092020-222123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/ आश्विन 7, 1942

No. 482]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 591(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 451(अ) दिनांक 24 जून, 2019 के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा, श्री उज्ज्वल कुमार घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड, कर्नाटक के स्थान पर सचिव, लोक निर्माण, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, कर्नाटक सरकार को दिनांक 31.03.2021 तक नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 451(E) dated the 24th June, 2019, the Central Government hereby appoints the Secretary to Government of Karnataka, Public Works, Ports & Inland Water Transport Department in place of Shri Ujjawal Kumar Ghosh, Chief Executive Officer, Karnataka Maritime Board, Karnataka as trustee in the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03.2021.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.